न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 77 / 2019

प्रार्थी :-
डोली बनाम मन्दिर श्री पीपली माता जी पीपाड़ शहर, जरिये वादमित्र –
1. गुदड़राम पुत्र बालुराम
2. रामस्वरूप पुत्र बालुराम
3. रामनिवास पुत्र बालुराम
4. रामकिशोर पुत्र बिड़दाराम
5. बाबुलाल पुत्र श्रीराम
6. सोहनलाल पुत्र जयराम
सभी जातियान माली निवासीगण भोमाजी का बेरा वार्ड नं. 10 पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :-
1. हुक्माराम पुत्र बक्तारम
2. मेहराम पुत्र बक्तारम
जातियान माली निवासीगण जालूबा का बैरा वार्ड नं. 10 पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता:–
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह, श्री संजय कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
श्री रामकिशोर सांखला अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 19.11.2019

प्रार्थी नें अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है । ग्राम पीपाड़ शहर में डोली बनाम मन्दिर श्री पीपली माताजी पीपाड़ शहर मन्दिर पीपली बास पीपाड़ शहर में आया हुआ है पीपली माता जी का मन्दिर देवमूर्ति है देवमूर्ति को कानून में अव्यस्क के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस कारण यह प्रार्थना पत्र जरिये वादमित्र के प्रस्तुत किया जा रहा है वादमित्र प्रार्थी मन्दिर श्री पीपली माता जी वाके पीपाड़ शहर के हित में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है वादमित्र का प्रार्थी मन्दिर श्री पीपली माताजी के हित में विरूद्ध अपना हित नही रखते है और वादमित्र उक्त मन्दिर मूर्ति श्री पीपली माताजी में श्रृद्धा रखते आये है और उनके हितो के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है । प्रार्थी मन्दिर श्री पीपली माता जी वाके पीपाड़ शहर की खातेदारी जमीन सरहद गौजा पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर में खसरा नम्बर 2190 रकबा 2.4027 हैक्टयर भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । प्रार्थी उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी का एकमात्र मालिक है एवं भोगता रहा है और प्रार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व जागिर अधिग्रहण अधिनियम 1952 के तहत अपने आप ही प्रार्थी को उक्त जमीन के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और वादग्रस्त आराजी प्रार्थी में स्वतः ही निहीत हो चुकी है, वादग्रस्त आराजी से प्राप्त आय प्रार्थी मन्दिर श्री पीपली माता जी वाके पीपाड़ शहर के उपयोग उपभोग के लिए ही काम में आती रही है । अप्रार्थी सं. एक व दो न तो प्रार्थी की उक्त वर्णित जमीन के पुजारी के रूप में ही उपयोग में ले रहे है न ही अप्रार्थी सं. एक व दो का वादग्रस्त आराजी में किसी भी तरह का हक हिस्सा एवं अधिकार निहीत नहीं है । मात्र राजस्व रेकर्ड में बदनियतीपूर्वक रद्दोबद्दल

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

करवारकर पुजारी से अपने पक्ष में तथाकथित बैचान करवाकर वादग्रस्त आराजी पर नाजायज रूप से काबिज हो गये है । प्रार्थी उक्त अप्रार्थी सं. एक व दो का वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटवाने के अधिकारी है चूंकि प्रार्थी सास्वत अवयस्क है और उसका नाजायज लाभ उठाते हुए अप्रार्थी सं. एक व दो ने प्रार्थी देवमूर्ति के साथ विश्वासघात एवं धोखाधड़ी की है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है वर्तमान में भी उक्त वादग्रस्त आराजी से सालाना अप्रार्थी सं. एक व दो लाखो रूपयो की इनकम ले रहे है । प्रार्थी जो कि सास्वत अवयस्क है कि अपनी विधिक आय से मेहरूम कर रहे है वादग्रस्त आराजी पर सालाना करीब दो लाख रूपये की आय अप्रार्थी सं. एक व दो प्राप्त कर रहै है उक्त आय से प्रार्थी को वंचित कर रहे है । अप्रार्थी सं. एक व दो का वादग्रस्त आराजी पर किसी भी तरह से कोई हक हिस्सा नही है व प्रार्थी उक्त अप्रार्थीगण से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है अप्रार्थी सं. एक व दो का कब्जा कानून की नजरो में Ab intio illegal है । प्रार्थी एव प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी हमेशा से ही राज्य सरकार के अधीन रही है । राजस्व मण्डल अजमेर में विभिन्न निर्णय के द्वारा भी मन्दिर की जमीन तुरन्त मन्दिर के नाम से करने व कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में हो चुके है परन्तु फिर भी सम्वन्धित राजस्व अधिकारियो की लापरवाही एवं नाजायज प्रलोभन उक्त अप्रार्थी से लेने के कारण आज दिन तक कोई उक्त अप्रार्थी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नही हुई है जिस पर प्रार्थी को जरिये वादमित्र यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु मजबूर होना पड़ा है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थी (अवयस्क मूर्ति) की व अप्रार्थी सं. एक व दो प्रार्थी की उक्त जमीन को अपनी मनमुताबिक उपयोग उपभोग कर रहे है व वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निर्माण कर रहे है और इस प्रकार का कृत्य अप्रार्थी सं. एक व दो का वादग्रस्त आराजी को नष्ट करने की तारीफ में आता है और उन्हे ऐसा करने से रोका जाना न्याहायत जरूरी है । अप्रार्थी सं. एक व दो को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अति आवश्यक व लाजमी है । प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रार्थी के नाम से है अप्रार्थी सं. एक व दो का वादग्रस्त आराजी पर किसी तरह का कोई विधिक हक या अधिकार नही है । मात्र प्रार्थी अवयस्क मूर्ति होने का नाजायज फायदा उठा रहे है जिन्हे तुरन्त बेदखल किया जाना आवश्यक है । प्रार्थी के वादमित्र द्वारा दिनांक 28.06.2019 का अप्रार्थी सं. एक व दो को वादग्रस्त आराजी पर पट्टिया खड़ी करने से मना किया एवं निर्माण करने से मना किया तो अप्रार्थी सं. एक व दो द्वारा प्रार्थी के वादमित्रो को धमकियां दी कि वादग्रस्त आराजी की बैचान रजिस्ट्री अप्रार्थी सं. एक व दो के नाम से है इसलिए वादग्रस्त आराजी पर स्थायी कब्जा करने की नियत से निर्माण वगैराह करके रहेगे । जबकि अप्रार्थी सं. एक व दो का ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है इसलिए अप्रार्थी सं. एक व दो को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अति आवश्यक व लाजगी है । इस पर यह प्रार्थना बाबत् बेदखली व अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है । प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी सं. एक व दो नाजायज कब्जा / अतिकमण करने का कोई विधिक अधिकार नही है अप्रार्थी सं. एक व दो ने वादग्रस्त आराजी पर अवैध कब्जा किया है जिस अवैध कब्जे को

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

हटाया जाकर वादग्रस्त आरजी राज्य सरकार की तहवील में ली जावें । उपरोक्त वर्णित तथ्यो एवं परिस्थितियों अनुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी का बखूबी प्रमाणित है । सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में एवं अपूरणीय क्षति भी निश्चित रूप से प्रार्थी को ही होगी क्योकि वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी सं. एक व दो अवैध रूप से अतिकमण किए हुए है एवं सावणुं फसल बोकर लाखो रूपये आय प्राप्त कर रहे है । इसलिए अपूरणीय क्षति प्रार्थी को हो रही है । जिसकी भरपाई रूपयो पैसो में आंकी नही जा सकती है । इसलिए न्यायहित में अप्रार्थी सं. एक व दो के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें एवं वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को रिसिवर नियुक्त किया जावें । अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर माननीय न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान एवं अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें कि ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 2190 रकबा 2.4027 हैक्टयर भूमि की अप्रार्थी सं. एक व दो व उसके हितबद्ध लोग मौके की यथास्थिति बनाये रखें । वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को रिसिवर नियुक्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी रिसिवर के कब्जे में लेने का आदेश फरमावें । अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के पक्ष में अता फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर ,अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण सं. एक व दो की ओर से वकील रामकिशोर सांखला ने वकालातनामा व जवाब प्रस्तुत करते हुए अंकन किया है कि वादग्रस्त भूमि कोई देवमूर्ति की भूमि नही है न ही प्रार्थीगण को ऐसा वाद लाने का कोई अधिकार नही है । वादग्रस्त जायदाद अप्रार्थीगण के साथ साथ चनणाराम, रामलाल, सोना, पिसरान जालाराम, मैराम पिसरान बक्ताराम का भी संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके चारो और लोहे की तारबन्दी की हुई है और लोहे की जाली लगाई हुई है, जो पट्टियो से बांधी हुई है । काश्तकारी कानून के पश्चात् सरकार के नियमानुसार डोलियां जब्त की गई तथा जो डोलीदार (पूजारी) सेवा करते थे उन्हे सरकार द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये और उन खातेदारी अधिकारो के उपयोग करके उक्त भूमि का बेचाननामा चनणाराम, रामलाल, सोनाराम पिसरान जालाराम व प्रार्थीगण तथा मैहराम पुत्र बक्ताराम के पक्ष में प्रतिफल की राशि लेकर के कर दिया है जो सही है । मामले हाजा में प्रार्थीगण कोई वादमित्र की हैसियत नियमानुसार वाद पेश नही किया गया है और न ही कोई प्रार्थीगण वादमित्र की हैसियत रखते है इस बिनाय पर प्रार्थना पत्र काबिज खारिज है । प्रार्थीगण ने अपने वाद में यही कही भी जाहिर नही किया कि भूमि जैसी स्थाई सम्पति किस प्रकार नष्ट होती है इस बिनाय पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है । अप्रार्थीगण व दीगर केतागण का कब्जा वादग्रस्त जायदाद के खेत खसरा नम्बर 2190 पर पिछले 60 साल से चला आ रहा है । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यही कही भी जाहिर नही किया कि उन्हे वादकारण किस आधार पर और कौनसी तारीख पर पैदा हुआ । अतः जवाब प्रार्थना पत्र व मजीद उजरात प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे के खारिज फरमावें । इसी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर से ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 2190 रकबा 2.4027 हैक्टयर भूमि की मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई खसरा नम्बर 2190 राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता सं. 445 में डोली बनाम मन्दिर श्री पीपली माताजी वाके देह के नाम दर्ज है । उक्त खसरा सिलारी रोड़ पर स्थित है । उक्त खसरे का रकबा 14.17 बीघा (2.4027 है) व किस्म बारानी A है । उक्त खसरा मौके पर दो भागो में विभाजित है । जिसकी उत्तरी भाग की सीमा पर तारबन्दी एवं जाली की हुई है व पश्चिमी मेड़ पर भी तांरबंदी एवं जाली की हुई है एवं खसरे के बीच में तारबन्दी की हुयी है व खसरे की पूर्वी सीमा पर कांटो की बाड़ है । इसी प्रकार इसी खसरे में दक्षिणी एवं पश्चिमी मेड़ पर तारबन्दी की हुयी है व पूर्वी मेड़ पर बाड़ की हुई है । वर्तमान में उक्त खसरे में किसी भी प्रकार का निर्माण नही किया हुआ है व न ही काश्त की हुयी है । पूछताछ करने पर नजरी नक्शा अनुसार कब्जा होना बताया है । नजरी नक्शा अनुसार बिन्दु सं. A पर मेहराग, हुक्माराम पिसरान बगताराम जाति माली सा. देह एवं बिन्दु सं. B पर गुलाबराम पिसरान रामलाल जाति माली सा. देह अतिकमण होना पाया क्योकि यह भूमि खातेदारी न होकर डोली बनाम मन्दिर श्री पीपली माताजी दर्ज है । मौका रिपोर्ट श्रीमान जी के न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

बहस वकुलाय सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मुख्य रूप से बताया कि कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान एवं अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें कि ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 2190 रकबा 2.4027 हैक्टयर भूमि की अप्रार्थी सं. एक व दो व उसके हितबद्ध लोग मौके की यथास्थिति बनाये रखें । वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को रिसिवर नियुक्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी रिसिवर के कब्जे में लेने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है । इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने अपने बहस में जवाब दावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि कोई देवमूर्ति की भूमि नही है न ही प्रार्थीगण को ऐसा वाद लाने का कोई अधिकार नही है । वादग्रस्त जायदाद अप्रार्थीगण के साथ साथ चनणाराम, रामलाल, सोना, पिसरान जालाराम, मैराम पिसरान बक्ताराम का भी संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके चारो और लोहे की तारबन्दी की हुई है और लोहे की जाली लगाई हुई है, जो पट्टियो से बांधी हुई है । काश्तकारी कानून के पश्चात् सरकार के नियमानुसार डोलियां जब्त की गई तथा जो डोलीदार (पूजारी) सेवा करते थे उन्हे सरकार द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये और उन खातेदारी अधिकारो के उपयोग करके उक्त भूमि का बेचाननामा चनणाराम, रागलाल, सोनाराम पिसरान जालाराम व प्रार्थीगण तथा मैहराम पुत्र बक्ताराम के पक्ष में प्रतिफल की राशि लेकर के कर दिया है जो सही है । मामले हाजा में प्रार्थीगण कोई वादमित्र की हैसियत नियमानुसार वाद पेश नही किया गया है और न ही कोई प्रार्थीगण वादमित्र की हैसियत रखते है इस बिनाय पर प्रार्थना पत्र काबिज खारिज है । प्रार्थीगण ने अपने

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

वाद में यही कही भी जाहिर नही किया कि भूमि जैसी स्थाई सम्पति किस प्रकार नष्ट होती है इस बिनाय पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है । अप्रार्थीगण व दीगर केतागण का कब्जा वादग्रस्त जायदाद के खेत खसरा नम्बर 2190 पर पिछले 60 साल से चला आ रहा है । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यही कही भी जाहिर नही किया कि उन्हे वादकारण किस आधार पर और कौनसी तारीख पर पैदा हुआ । अतः जवाब प्रार्थना पत्र व मजीद उजरात प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे के खारिज फरमाने का निवेदन किया है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब अप्रार्थीगण का अवलोकन किये जाने पर वादग्रस्त भूमि देवमूर्ति की भूमि है पर वादीगण को वाद लाने का कोई विधिक अधिकार नही है एवं वादकरण की पैदाईश की कोई निश्चित तारीख का लेखांकन नही किया है । वादीगण ने सभी कब्जाधारियो को पक्षकार नही बनाया है सिर्फ अप्रार्थीगण सं. एक व दो को ही पक्षकार बनाया गया है । अप्रार्थीगण ने प्रतिफल की राशि देकर रजिस्ट्री कराई है। पूरी कार्यवाही विधिपूर्ण तरीके से 41 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद में खरीददारो के सभी वारिसानो को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर एवं काबिज काश्तकारान को निर्देश दिये जाते है कि पीपाड़ शहर में पीपली माता का मन्दिर अवस्थित पूजा अर्चना एवं मन्दिर के रखरखाव हेतु विवेचित भूमि से प्राप्त आय में से 2/10 रकम की अदायगी मन्दिर प्रबधंन को की जावे एवं कब्जाधारी रकम की अदायगी कर भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को प्रतिवर्ष अदायगी रसीद सहित रिपोर्ट पेश की जावें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 19.11.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner